देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,
इंदौर – 452 001

पृ.पत्र क्र.प्रशा./वि.स./2023/ 134 दिनांक 13.02.2023

विषय :– विधानसभा प्रश्नों की जानकारी भेजने के संबंध में निर्देश।

सन्दर्भः– आउशि के पत्र क्र. 226/विधानसभा/2023/38–3 दिनांक 09.02.2023.

प्रति,

1. विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/विभाग प्रमुख, समस्त अध्ययनशालाऐं/संस्थान/देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला परिसर, खंडवा रोड, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2. समस्त अधिकारीगण, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, नालन्दा परिसर, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. विभागाध्यक्ष, आय.टी. सेन्टर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

संलग्न–शासन द्वारा जारी निर्देश का पत्र।

कुलसचिव

आज़ादी का अमृत महोत्सव
सर्वोच्च प्राथमिकता

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 226 /विधानसभा/2023/38-3 भोपाल, दिनांक 09/2/2023

प्रति,

कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्य प्रदेश ।

विषय :-विधानसभा प्रश्नों की जानकारी भेजने के संबंध में निर्देश ।

प्रायः देखा गया है कि विश्वविद्यालयों द्वारा विधानसभा प्रश्नों की जानकारी तैयार करने के दौरान माननीय विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न के शब्दों/ वाक्यों का गहनता से अध्ययन नहीं किया जाता है तथा प्रश्न के शब्दों/ वाक्यों से हटकर प्रश्नों का उत्तर विभाग को प्रेषित किया जाता है। साथ ही अनावश्यक रूप से अनचाहे दस्तावेजों की छायाप्रति उत्तर के साथ संलग्न कर दी जाती है, जिससे विधानसभा को उत्तर भेजने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है । अतएव निर्देशित किया जाता है कि विधानसभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करते समय निम्न तथ्यों का ध्यान रखा जावे :-

(1) मा0 विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न का गहनता से अध्ययन/परीक्षण किया जाए ।

(2) प्रश्न का शब्दशः एवं वाक्यांश अनुसार ही उत्तर प्रेषित किया जावे । काल्पनिक एवं अनर्गल विवरण का उल्लेख नहीं किया जाए ।

(3) प्रश्न में उल्लेख अनुसार या विभाग के चाहे अनुसार ही अभिलेख संलग्न किए जावें । अनावश्यक दस्तावेज की छायाप्रतियाँ संलग्न नहीं की जाएं ।

(4) प्रश्न का उत्तर विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अन्दर ही अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएं ।

2/ उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए । निर्देशों की अवहेलना पाए जाने एवं समय-सीमा में उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

9-2-23
(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Most Important
DR Adm
Copy

पृ. क्रमांक 227/ विधानसभा/2023/38-3 भोपाल, दिनांक 09/2/2023

प्रतिलिपि,

कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ अग्रेषित ।

9-2-23
अवर सचिव
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग

9.2-23
SO (Adm)
9/2/23

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर
प्रशासन
आवक क्र. 220
दिनांक 9 FEB 2023